तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18 9/18	पत्रावली पेश हुई [illegible] प्रार्थी [illegible] [illegible] के जमाबन्दी [illegible] के नाम से दर्ज है [illegible] नहीं किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाती है। [illegible] प्रार्थीगण द्वारा [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] भेजी जावे [illegible] करें [signature] **[illegible] अधिकारी एवं** **सहायक कलेक्टर** **शाहपुरा (भीलवाड़ा)**

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री चेतन कुमार त्रिपाठी, R.A.S.

[प्रकर]ण संख्या 772/ 2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

दुर्गा लाल पुत्र पेमा गुर्जर वगैरा निवासी केरियाखुर्द

– ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण

बनाम

गुरु/छोटू पुत्र ... गुर्जर वगैरा निवासी केरियाखुर्द

– ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण

स्थित :– श्री लक्ष्मणराज रेगर
अभिभाषक : प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 18/9/18

~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व [अ]धिनियम, 1956 के तहत ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण के ग्राम केरियाखुर्द तहसील शाहपुरा/ ——— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 266, 267, 268, 269, 475, 476, 477, 480, 481 कुल किता 9 रकबा 1.85 हैक्टयर का ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण ~~खातेदार~~/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। ~~विप्रार्थी~~/विपक्षीगण पड़ौसी है। ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण एवं ~~विप्रार्थी~~/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीना संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। ~~विप्रार्थी~~/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम केरियाखुर्द संवत 2071 से 74 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण ~~खातेदार~~/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा केरियाखुर्द मे स्थित ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण की उपरोक्त ~~खातेदारी~~/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 9 रकबा 1.85 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ ——— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 400/- रूपये कायम किये जाते है जो ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ ——— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/9/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(चेतन कुमार त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः–तहसीलदार, शाहपुरा/ ——— पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner